कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक /बैठक/2023 /2635 दिनांकः– 07.10.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एंव उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–21/स्थापना/2022/4226–4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एंव सम्पत्ति निस्तारण समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एंव अध्यक्ष भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 06 अक्टूबर 2023 को प्राधिकरण कार्यालय में सायं 04.00 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट–1 पर सलंग्न है।

प्रस्ताव संख्या 01 :: सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान को ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन भूमि आवंटन के संबंध में।

क.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषेषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान को ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–अ व परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन हेतु ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 अरबन एरिया है तथा जेडडीपी के 30 मी. सडक पर स्थित है व जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। एमडीपी–डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

सूर्यनगरी जुमले पंचाय उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 28.09.2023 को 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था। जिसकी समयावधि समाप्त नही हुई है उजर एतराज की समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो तद्नुसार उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान का रजिस्ट्रेशन 122/जोधपुर 10–11 दिनांक 28/07/2010 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 की सलंग्न है। डी.पी.आर सलंग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान के सामुदायिक भवन हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन वास्ते प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने हेतु भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–अ व परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन हेतु ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 30.09.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 162/2023 दिनांक 28.09.2023 के द्वारा सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान को अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान को 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर प्रकरण पुनः भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक मे रखा जावे।	उपायुक्त जोन –4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 02 :: मारवाड़ छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी को ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में सामुदायिक भवन व छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	मारवाड़ छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी को ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में सामुदायिक भवन व छात्रावास हेतु भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

मारवाड़ छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–अ व परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में सामुदायिक भवन व छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404—00 बीघा किस्म बारानी—चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू—उपयोग यू—2 अरबन एरिया है तथा जेडडीपी के 30 मी. सडक पर स्थित है व जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। एमडीपी—डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404—00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

मारवाड़ छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 01.10.2023 को 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था। जिसकी समयावधि समाप्त नही हुई है उजर एतराज की समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त होती है तो तद्नुसार उक्त प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

अतः मारवाड़ छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी के सामुदायिक भवन व छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन वास्ते प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने हेतु भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

मारवाड़ छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र—अ व परिशिष्ट—1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में सामुदायिक भवन व छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 05.10.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 225/2023 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा मारवाड़ छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी को अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार मारवाड़ छीपा समाज वेलफेयर सोसायटी को 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर प्रकरण पुनः भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक मे रखा जावे।	उपायुक्त जोन —4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 03 :: मजलिस हमदर्दाने कोम मेड़ती सिलावटान, जोधपुर को ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में न्याति नोहरा (सामुदायिक भवन) हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	मजलिस हमदर्दाने कोम मेड़ती सिलावटान, जोधपुर को ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में न्याति नोहरा (सामुदायिक भवन) हेतु भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

मजलिस हमदर्दाने कोम मेड़ती सिलावटान, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–अ व परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में न्याति नोहरा हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404–00 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग यू–2 अरबन एरिया है तथा जेडडीपी के 30 मी. सडक पर स्थित है व जेडडीपी की किसी भी सडक से प्रभावित नही है। एमडीपी–डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सडक पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404–00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 14.08.2023 को 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था। जिसकी समयावधि मे किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही हुई।

मजलिस हमदर्दाने कोम मेड़ती सिलावटान, जोधपुर संस्थान का रजिस्ट्रेशन 83/M/SOCIETIES 25 दिनांक 14/04/1941 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की सलंग्न है। डी.पी.आर सलंग्न है।

अतः मजलिस हमदर्दाने कोम मेड़ती सिलावटान, जोधपुर के न्याति नोहरा (सामुदायिक भवन) हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन वास्ते प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने हेतु भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

मजलिस हमदर्दाने कोम मेड़ती सिलावटान, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र–अ व परिशिष्ट–1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बुझावड़ के खसरा संख्या 18 में न्याति नोहरा हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

Scanned with OKEN Scanner

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 05.10.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 225/2023 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा मजलिस हमदर्दाने कोम मेड़ती सिलावटान, जोधपुर को अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार मजलिस हमदर्दाने कोम मेड़ती सिलावटान, जोधपुर को 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –4
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 04 :: अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्गमीटर अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 22.09.2023 को अपलोड किया गया। दिनांक 05.10.2023 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं, 15 दिवस (06.10.2023 तक) की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

Scanned with OKEN Scanner

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilite में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 458/जोधपुर/1995–96 दिनांक 09.01.1996
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021,2021–2022,2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 05.10.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 225/2023 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा, जोधपुर को अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार अखिल भारतीय श्री ब्राह्मण स्वर्णकार महासभा, जोधपुर को 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर प्रकरण पुनः भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक मे रखा जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 05 :: सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान, जोधपुर को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521—15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481—15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 19.09.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521—15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू—उपयोग एम.डी.पी.—2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू—उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/— की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 139/जोधपुर/2013—14 दिनांक 29.10.2013
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वितीय वर्ष 2019—2020, 2021—2022, 2022—2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 05.10.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 225/2023 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान, जोधपुर को अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार सर्व जनहित एवं विकास सेवा संस्थान, जोधपुर को 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 06 :: **श्री जोधपुर ब्रह्म क्षत्रिय समाज संस्था, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।**

क्र.स.	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा**	**प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव**
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री जोधपुर ब्रह्म क्षत्रिय समाज संस्था, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

श्री जोधपुर ब्रह्म क्षत्रिय समाज संस्था, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

Scanned with OKEN Scanner

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 21.09.2023 को अपलोड किया गया। दिनांक 05.10.2023 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं, 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 113/जोधपुर/1997–98 दिनांक 21.08.1997
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021,2021–2022,2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में श्री जोधपुर ब्रह्म क्षत्रिय समाज संस्था, जोधपुर ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

श्री जोधपुर ब्रह्म क्षत्रिय समाज संस्था, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 05.10.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 225/2023 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा श्री जोधपुर ब्रह्म क्षत्रिय समाज संस्था, जोधपुर को अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार श्री जोधपुर ब्रह्म क्षत्रिय समाज संस्था, जोधपुर को 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे।यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर प्रकरण पुनः भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक मे रखा जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 07 :: श्री विजयवर्गीय वैश्य संस्था, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि श्री विजयवर्गीय वैश्य संस्था सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

श्री विजयवर्गीय वैश्य संस्था, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 21.09.2023 को अपलोड किया गया। दिनांक 05.10.2023 तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। 15 दिवस की अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 292/जोधपुर/2001–02 दिनांक 31.01.2002
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021,2021–2022,2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

Scanned with OKEN Scanner

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में श्री विजयवर्गीय वैश्य संस्था, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

श्री विजयवर्गीय वैश्य संस्था, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 05.10.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 225/2023 दिनांक 04.10.2023 के द्वारा श्री जोधपुर श्री विजयवर्गीय वैश्य संस्था, जोधपुर को अधिकतम 1500 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार श्री जोधपुर श्री विजयवर्गीय वैश्य संस्था, जोधपुर को 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर प्रकरण पुनः भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक मे रखा जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 08 :: आचार्य समाज समिति चानणा भाखर, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि आचार्य समाज समिति चानणा भाखर, जोधपुर को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

आचार्य समाज समिति चानणा भाखर, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 18.09.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 02/जोधपुर/1999–2000 दिनांक 07.04.1999
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में आचार्य समाज समिति चानणा भाखर, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

आचार्य समाज समिति चानणा भाखर, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 30.09.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 162/2023 दिनांक 28.09.2023 के द्वारा आचार्य समाज समिति चानणा भाखर, जोधपुर को अधिकतम 2500 वर्गमीटर आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तदनुसार आचार्य समाज समिति चानणा भाखर, जोधपुर को 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 09 :: सागरवंशी ओड क्षत्रिय समाज, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि सागरवंशी ओड क्षत्रिय समाज सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

सागरवंशी ओड क्षत्रिय समाज, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 28.09.2023 को अपलोड किया गया। दिनांक 05.10.2023 तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। 15 दिवस की अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है-

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 30/2009-10 दिनांक 20.05.2009 जोधपुर
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020-2021,2021-2022,2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सागरवंशी ओड क्षत्रिय समाज, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सागरवंशी ओड क्षत्रिय समाज, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास एंव आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(73)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 30.09.2023 की मंत्रिमण्डल की आज्ञा स. 162/2023 दिनांक 28.09.2023 के द्वारा सागरवंशी ओड क्षत्रिय समाज, जोधपुर को अधिकतम 2500 वर्गमीटर आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार सागरवंशी ओड क्षत्रिय समाज, जोधपुर को 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 10 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर प्रकरण पुनः भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक मे रखा जावे।	उपायुक्त जोन -5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव संख्या 10 :: **श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सर्वहितकारी ट्रस्ट, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्गमीटर श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सर्वहितकारी ट्रस्ट, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सर्वहितकारी ट्रस्ट, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों / संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 29.09.2023 को अपलोड किया गया। दिनांक 05.10.2023 तक कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। 15 दिवस की अवधि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000 / – की डी.डी.
3. संस्था का देवस्थान विभाग, जोधपुर से रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 30 / 2018 / जोधपुर दिनांक 21.05.2018
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

Scanned with OKEN Scanner

अतः श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सर्वहितकारी ट्रस्ट, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सर्वहितकारी ट्रस्ट, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 1(77)नविवि/जोधपुर/2023 जयपुर दिनांक 05.10.2023 में मंत्रिमण्डल एम्पावर्ड समिति की नवम बैठक (सर्कुलेशन द्वारा) दिनांक 05.10.2023 के द्वारा श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सर्वहितकारी ट्रस्ट, जोधपुर को अधिकतम 2500 वर्गमीटर भूमि सशुल्क आवंटन किये जाने की स्वीकृति से तद्नुसार श्री ब्राह्मण स्वर्णकार सर्वहितकारी ट्रस्ट, जोधपुर को 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 30 प्रतिशत राशि पर सशुल्क आवंटित की जावे। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाती है कि निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। आपत्ति प्राप्त होने पर उपायुक्त द्वारा आपत्ति का निस्तारण कर प्रकरण पुनः भूमि एंव सम्पति निस्तारण समिति की बैठक मे रखा जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 11 :: **अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा कलाल युवा महासभा संस्था, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।**

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्गमीटर **अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा कलाल युवा महासभा संस्था**, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा कलाल युवा महासभा संस्था, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है–

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 5 रकबा 521–15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481–15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नही है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 20.09.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521–15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग एम.डी.पी.–2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilites में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू–उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है–

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/– की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक **COOP/2018/JODHPUR/100126** दिनांक 28.02.2018
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः **अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा कलाल युवा महासभा संस्था**, जोधपुर को ग्राम बडली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा कलाल युवा महासभा संस्था, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

Scanned with OKEN Scanner

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	अखिल भारतीय क्षत्रिय मेवाड़ा कलाल युवा महासभा संस्था, जोधपुर को बडली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –5
02.	राज्य सरकार स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

प्रस्ताव संख्या 12 :: **समराथल फाउण्डेशन सोसायटी, जोधपुर को ग्राम बासनी तम्बोलिया खसरा सं 01 में महिला एवं पुरूष छात्रावास हेतु 2000 व.मी. भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन बाबत।**

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	समराथल फाउण्डेशन सोसायटी, जोधपुर को ग्राम बासनी तम्बोलिया खसरा सं 01 में महिला एवं पुरूष छात्रावास हेतु 2000 व.मी. भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन बाबत।	समराथल फाउण्डशन सोसायटी, जोधपुर को ग्राम बासनी तम्बोलिया खसरा सं 01 में महिला एवं पुरूष छात्रावास हेतु 2000 व.मी. भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन की अभिषांशा की जाती है।

महासचिव, समराथल फाउण्डेशन सोसायटी, जोधपुर के द्वारा दिनांक 4.09.2023 को निर्धारित प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत ग्राम बासनी तम्बोलिया खसरा सं 01 में महिला एवं पुरूष छात्रावास हेतु 2000 व.मी. भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 01 भूमि जेडीए के नाम दर्ज है तथा मौके पर भूमि खाली है। उक्त भूमि के पास मे ही पूर्व में भील नायक समाज को छात्रावास एवं युथ हॉस्टल के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। अतः उक्त भूमि बेसकिमती के श्रैणी में नही आती हैं

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि हास्टल प्रयोजनार्थ अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

उक्त प्रकरण में निर्धारित प्रपत्र में जेडीए की वैब साईट पर आपत्ति सूचना दिनांक 8.9.2023 को जारी की जा चुकी है निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

भूमि आवंटन नीति –2015 के अन्तगर्तत छात्रावास हेतु 2500 व.मी. भूमि आवंटन का प्रावधन है। इस प्रकार प्रकरण भूमि आवंटन नीति –2015 के अन्तर्गत अनुज्ञेय है।

अतः ग्राम बासनी तम्बोलिया के खसरा संख्या 1 मे से 2000 व.मी भूमि महिला एवं पुरूष हॉस्टल प्रयोजनार्थ आरक्षित दर 6500 रूपये प्रति वर्गमीटर 50 प्रतिषत अर्थात 3250/– प्रतिवर्गमीटर की दर से भूमि आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

महासचिव, समराथल फाउण्डेशन सोसायटी, जोधपुर के द्वारा दिनांक 4.09.2023 को निर्धारित प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत ग्राम बासनी तम्बोलिया खसरा सं 01 में महिला एवं पुरूष छात्रावास हेतु 2000 व.मी. भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

क्र.स	निर्णय	जिनके द्वारा पालना की जानी है।
01.	समराथल फाउण्डेशन सोसायटी, जोधपुर को बडली के खसरा संख्या 05 में 2000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	उपायुक्त जोन –6
02.	राज्य सरकार स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे।	निदेशक आयोजना

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

क्रमांक /बैठक/2023/2636-41 दिनांकः–07.10.2023

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय ,जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4 उपायुक्त–जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6 ....

(डॉ हरीतिमा)
सचिव

Scanned with OKEN Scanner

श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 06 अक्टूबर , 2023 को सांय 04.00 बजे आयोजित भूमि निस्तारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

01. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर ।
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
03. श्री श्रवण सिंह , उपायुक्त जोन–3/4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
04. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त जोन –5 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
05. श्री श्रवण कुमार , उपायुक्त जोन –6 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
06. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
07. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।
08. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर।

Scanned with OKEN Scanner